

	भारतसरकार/Government of India आयुक्त का कार्यालय /Office of the Commissioner केन्द्रीय जी.एस.टी एवंके०उ०,पटना-II/ Central GST & CX, Patna-II तृतीयसेपंचमतल,सी०टी०टी०सी०बिल्डिंग, संचारपरिसर, बुद्धमार्ग, पटना-01 <u>3rd to 5th Floor , C.T.T.C. Building, Sanchar Parishar,</u> <u>Buddha Marg, Patna-01.</u> E-mail: technical-b2021@gov.in	
---	---	---

व्यापार सूचना सं. 02/2026-27

दिनांक: 24.09.2026

विषय: CGST एवं CX, पटना-II। आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (Central Processing Cell) का प्रमंडलीय(Divisional) स्तर पर विकेंद्रीकरण।

व्यापार, उद्योग, कर व्यवसायियों तथा अन्य सभी संबंधित हितधारकों का ध्यान अपर आयुक्त (CCO), राँची जोन, पटना द्वारा F. No.: GCCO/SYS/MISC/3/2025-GST-O/o CC-GST-ZONE-RANCHI/4815785/2026 के माध्यम से केंद्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ के विकेंद्रीकरण के संबंध में जारी आदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. GST पंजीकरण प्रसंस्करण (Processing) का विकेंद्रीकरण

2.1 नए GST पंजीकरण आवेदनों के प्रसंस्करण को सुगम बनाने के उद्देश्य से ऐसे आवेदनों के प्रसंस्करण का कार्य केंद्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ से संबंधित प्रमंडलीय(Divisional) स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जा रहा है।

2.2 तदनुसार, CGST एवं CX, पटना-II। आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल(Division) को अपनी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले GST पंजीकरण आवेदनों के प्रसंस्करण का अधिकार होगा।

संबंधित प्रमंडलो(Divisions) की अधिकारिता तथा उनके अंतर्गत आने वाले जिलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	डिवीज़न का नाम	डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले जिला का नाम
1.	वैशाली डिवीज़न	सारण, सीवान, गोपालगंज, वैशाली
2.	मुज़फ़्फ़रपुर डिवीज़न	मुज़फ़्फ़रपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण
3.	दरभंगा डिवीज़न	दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल
4.	बेगूसराय डिवीज़न	बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा
5.	पूर्णिया डिवीज़न	पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा

2.3 उपर्युक्त क्षेत्रीय अधिकारिता का विवरण करदाताओं, व्यापारिक प्रतिनिधियों, कर व्यवसायियों तथा अन्य हितधारकों के बीच स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है, ताकि उनके आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी संबंधित प्रमंडल(Division) के संबंध में कोई भ्रम न रहे।

3. प्रभावी तिथि

3.1 उपर्युक्त विकेंद्रीकृत व्यवस्था दिनांक **01.10.2026** को अथवा उसके पश्चात प्राप्त होने वाले नए GST पंजीकरण आवेदनों पर लागू होगी।

4. सहायता एवं कठिनाइयों का समाधान

4.1 इस व्यापार सूचना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई, जिसमें नए GST पंजीकरण आवेदनों के अधिकारिता निर्धारण से संबंधित कठिनाइयाँ भी शामिल हैं, को नोडल अधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त (तकनीकी), CGST एवं CX, पटना-II आयुक्तालय/संबंधित प्रमंडलीय अधिकारी के संज्ञान में लाया जा सकता है।

आपका विश्वासी
**Digitally signed by
Arvind Kumar
Date: 28-09-2026
17:02:56**
सहायक आयुक्त (तकनीकी),
CGST और CX, पटना-II आयुक्तालय

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि इन्हें भेजी गई है:-

1. मुख्य आयुक्त, CGST और CX, रांची ज़ोन, पटना के निजी सहायक (P.A.)
2. आयुक्त, CGST और CX, पटना-II आयुक्तालय के निजी सहायक (P.A.)
3. बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, इंडस्ट्री हाउस, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना-800001
4. बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, परिषद भवन, परिषद मार्ग, पटना-800001
5. नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, परिषद भवन, परिषद मार्ग, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर- 842001.
6. अपर/संयुक्त आयुक्त, CGST और CX, पटना-II आयुक्तालय के निजी सहायक (P.A.)
7. सहायक आयुक्त (CCO, सिस्टम) से GST सिस्टम में मैपिंग/डी-मैपिंग की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है।
8. उप/सहायक. आयुक्त, सीजीएसटी और सीएक्स डिवीजन- मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगुसराय, पूर्णिया, दरभंगा
9. सहायक आयुक्त (प्रणाली), सीजीएसटी एवं सीएक्स, पटना-II आयुक्त कार्यालय
10. सूचना पट्ट।